संख्या– 1019/33–3–2020–19/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0। (झांसी एवं बरेली को छोड़कर)
2– समस्त मंडलीय उपनिदेशक (पं0)/प्राचार्य, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
3– उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक : 02 जून, 2020

विषय: जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी0पी0आर0सी0) की स्थापना सम्बंधी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पंचायतो के क्षमता संवर्द्धन एवं प्रशिक्षण के दृष्टिगत जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर (डी.पी.आर.सी.) का निर्माण प्रदेश के 25 जनपदों– आजमगढ़, अमेठी, हाथरस, फिरोजाबाद, महोबा, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर देहात, कौशाम्बी, कुशीनगर, सम्भल, अमरोहा, हापुड़, शामली, चन्दौली, संतकबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, एटा, चित्रकूट, भदोई, फर्रुखाबाद, रायबरेली, बलरामपुर, श्रावस्ती में सम्बन्धितो जिला पंचायतो के माध्यम से किया जा रहा है।

2– जिला पंचायतों द्वारा डी.पी.आर.सी. के रंग–रोगन, भवन हस्तान्तरण एवं विद्युत कनेक्शन के विषय में की गई पृच्छा के सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि–

1. डी.पी.आर.सी. के निर्मित भवन के रंग–रोगन के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या– 3/2017/3091/33–3–2016–10जी.आई/2015, दिनांक: 03 जनवरी, 2017 में उल्लिखित आदेशों के क्रम में मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित 'मण्डलीय प्रशिक्षण एवं समन्वयन समिति' द्वारा लिया जाएगा।
2. डी.पी.आर.सी. के संचालन हेतु विद्युत कनेक्शन उपनिदेशक पंचायत/प्राचार्य, डी.पी.आर.सी., सम्बन्धित जनपद के नाम से लिया जाएगा।
3. 'मंडलीय प्रशिक्षण एवं समन्वयन समिति' द्वारा थर्ड पार्टी के द्वारा तकनीकी परीक्षण के उपरांत ही निर्धारित डिजाइन एवं मानकों सहित नव–निर्मित भवन का हस्तान्तरण सम्बन्धित उपनिदेशक पंचायत/प्राचार्य, डी.पी.आर.सी. जनपद को किया जाए। भवन हस्तान्तरण हेतु लोक निर्माण विभाग के भवन हस्तान्तरण मानकों का पालन करते हुए किया जाए विशेष रूप से भवन में विद्युत कनेक्शन, पानी एवं सीवेज सिस्टम का उल्लेख अवश्य किया जाए।
4. जिला पंचायत द्वारा फोटो सहित कार्यपूर्ति एवं ऑडिटेड उपभोग प्रमाण–पत्र निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश को कार्यपूर्ण होने के पश्चात किया जाए।
5. भवन हस्तान्तरण के पश्चात उक्त रूप से दिनांक 03 जनवरी, 2017 से निर्गत आदेशों का पालन करते हुए जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर का संचालन मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) द्वारा समिति के मार्ग–दर्शन में नवनिर्मित डी.पी.आर.सी. में ही किया जाएगा।

6. जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर, रायबरेली के संचालन सम्बंधी निर्णय लिए जाने हेतु निदेशक पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान (प्रिट), उत्तर प्रदेश को अधिकृत किया जाता है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक: तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उ0प्र0।
5. सम्बन्धित जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. सम्बन्धित अपर मुख्य अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।